NPPA
AFFORDABLE MEDICINES FOR ALL
सभी के लिए वहनीय दवाईयाँ

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
औषध विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

औषध संदेश

वोल्यूम-XIII | अक्टूबर 2023

द्विमासिक ई–न्यूजलेटर

दवा वही
दाम सही

सभी के लिए दवाइयों तक पहुँच, उपलब्धता एवं वहनीयता के प्रति प्रतिबद्ध

विषय वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष की कलम से	1
2.	विशेषज्ञ द्वारा लेख	2
3.	विनियामक समाचार	6
4.	अंतर्राष्ट्रीय समाचार	9
5.	घटनाक्रम एवं समाचार	11
6.	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	17

एनपीपीए के बारे में...

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग में विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र निकाय राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), का गठन भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 29.08.97 प्रकाशित संकल्प सं. 159 द्वारा किया गया। एनपीपीए के कामकाज में, अन्य बातों के अलावा, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के तहत अनुसूचित फार्मूलों की कीमतों का निर्धारण तथा संशोधन के साथ ही कीमतों की निगरानी और प्रवर्तन शामिल है। एनपीपीए औषधि नीति और दवाइयों की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों पर सरकार को इनपुट्स भी प्रदान करता है।

प्राधिकरण एक बहु–सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और तीन पदेन सदस्य हैं। तीन पदेन सदस्यों में से दो क्रमशः आर्थिक कार्य विभाग और व्यय विभाग से तथा भारत के औषधि महानियंत्रक तीसरे सदस्य हैं।

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसी अधिनियम, 1955) के तहत 15.05.2013 के तहत अधिसूचित किया गया और यह राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति (एनपीपीपी), 2012 के व्यापक दिशानिर्देशों पर आधारित है। एनपीपीपी के तीन मुख्य सिद्धांत निम्न प्रकार हैः

क. **दवाओं की अनिवार्यताः** दवाओं की कीमतों का विनियमन एनएलईएम–2011, एनएलईएम–2015 और एनएलईएम–2022 के तहत दवाओं की अनिवार्यता के आधार पर होता है, एस.ओ. 5249 दिनांक 11 नवम्बर, 2022 द्वारा संशोधित एनएलईएम–2015 को डीपीसीओ 2013 की पहली अनुसूची के रूप में शामिल किया गया है।

ख. **केवल फॉर्म्युलेशन कीमतों का नियंत्रणः** केवल फॉर्मूलेशन की कीमतों को विनियमित करना, न कि बल्क ड्रग्स की कीमतें और ड्रग पॉलिसी 1994 में अपनाए गए परिणामी फॉर्मूलेशन की।

ग. **बाजार आधारित मूल्य निर्धारणः** दवाओं की अधिकतम कीमतें बाजार आधारित मूल्य निर्धारण (एमबीपी) पद्धति पर तय की जाती हैं।

संपादकीय मंडल

- डॉ. विनोद कोतवाल, सदस्य सचिव
- श्री संजय कुमार, सलाहकार
- श्री जी.एल. गुप्ता, निदेशक
- श्री पल्लव कुमार चितेज, उप निदेशक

अस्वीकरणः

यह एनपीपीए द्वारा औषधि उद्योग और एनपीपीए से संबंधित समसामयिक मामलों और घटनाओं की सूचना देने की एक पहल है। यह न्यूजलेटर विशुद्ध रूप से सूचनात्मक उद्देश्यों हेतु तैयार किया गया है और यह एनपीपीए की आधिकारिक नीति या पक्ष को नहीं दर्शाता है। इस न्यूजलेटर को किसी भी व्यावसायिक/आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का इरादा नहीं है।

आप अपने सुझाव/प्रतिक्रिया **monitoring.nppa@gov.in** पर भी दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय की कलम से

सत्यमेव जयते

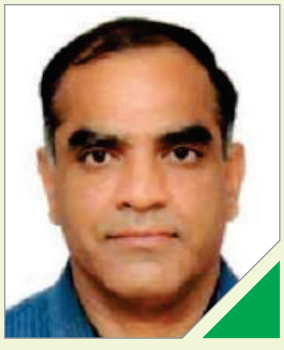

श्री कमलेश कुमार पंत, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
औषध विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत सरकार

आपके समक्ष एनपीपीए द्विमासिक ई–न्यूज़लेटर का तेरहवां अंक लेकर आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस अंक में डॉ. अमिता बाली वोहरा, उप महानिदेशक, सरकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; डॉ रूपाली रॉय, सहायक महानिदेशक, सरकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; डॉ. सुमित कुमार कंसोटिया, सीएमओ–एनएफएसजी, सरकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ''रोग प्रोफ़ाइल में परिवर्तन–रोगी जागरूकता और कार्रवाई'' पर एक विशेषज्ञ लेख दिया गया है। मुझे आशा है कि आपको यह रूचिकर लगेगा क्योंकि यह रोग प्रोफाइल में बदलावों के बारे में सूचित रहने और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने पर प्रकाश डालता है क्योंकि अधिकांश समस्याओं को समय रहते रोका या ठीक किया जा सकता है। रोग प्रोफ़ाइल का अर्थ है किसी विशेष रोग से संबद्ध लक्षण, संक्रमण का प्रसार, रोग की गंभीरता, स्वयं–सीमित रोग या नहीं, सावधानियां, और जटिलताएं (यदि कोई हो)।

भारत के 75वें ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के क्रम में, पीएमआरयू द्वारा अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यानी पुडुचेरी, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ग्यारह (11) राज्य स्तरीय कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए गए। इन आयोजनों का उद्देश्य एनएलईएम 2022 के तहत अधिकतम कीमतों के निर्धारण और हेल्थकेयर में इसके महत्व, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत दवा मूल्य विनियमों, दवाओं को किफायती और सभी के लिए उपलब्ध कराने में एनपीपीए की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना था।

ई–न्यूज़लेटर का यह संस्करण 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) अभियान पर भी प्रकाश डालता है। एनपीपीए ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमआरयू के साथ समन्वय में साफ–सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) यानी प्रारंभिक चरण अभियान चलाया है। एसएचएस द्वारा की गई परिकल्पना के अनुसार, पीएमआरयू द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यालय परिसरों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया।

इसके अलावा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के कार्यालय में हिंदी प्रयोग/प्रोत्साहन पखवाड़ा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के नियमित सदस्यों के साथ ही संविदा आधार पर नियुक्त और आउटसोर्स कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के समापन समारोह में अध्यक्ष, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सभी विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

एनपीपीए अपने सभी पाठकों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है; सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।

शुभकामनाओं सहित

(कमलेश कुमार पंत)

रोग प्रोफ़ाइल में परिवर्तन–रोगी जागरूकता और कार्रवाई

लेखकः डॉ. अमिता बाली वोहरा, उप महानिदेशक, सरकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; डॉ रूपाली रॉय, सहायक महानिदेशक, सरकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; डॉ. सुमित कुमार कंसोटिया, सीएमओ–एनएफएसजी, सरकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

पिछले 2–3 दशकों में, उभरते नए रोगों और गैर–संचारी रोगों के बढ़ते प्रसार के कारण भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। कोविड 19 ने भी नई चुनौतियां पेश कीं।

भारत में संचारी और गैर–संचारी रोगों के दोहरे बोझ को बढ़ाने के लिए जनसांख्यिकीय और महामारी विज्ञान संक्रमण भी एक महत्वपूर्ण कारण है (1)। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), के अनुसार, चार परिवर्तनीय जोखिम कारक हैं जिनका पुरानी बीमारी, संबंधित विकलांगता और समय पूर्व मौत के लिए प्रमुख योगदान हैः शारीरिक गतिविधि की कमी; खराब पोषण; तंबाकू का इस्तेमाल; और अत्यधिक शराब का सेवन (4)। तेजी से अनियोजित शहरीकरण, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के वैश्वीकरण और बढ़ती आबादी के कारण रोगों का बोझ और बढ़ गया है। रोग प्रोफ़ाइल में परिवर्तन सीधे समग्र हेल्थकेयर बजट, कर्मचारी उत्पादकता और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसलिए, यदि समुदाय जोखिम कारकों पर काम कर सकता है, तो बहुत से रोग और पीड़ा (रुग्णता) और शीघ्र मृत्यु (मृत्यु दर) से बचा जा सकता है या उन्हें रोका जा सकता है।

हमारे लिए रोग प्रोफाइल में बदलावों के बारे में सूचित रहना और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश समस्याओं को या तो रोका जा सकता है या समय पर ठीक किया जा सकता है। रोग प्रोफ़ाइल का अर्थ है किसी विशेष रोग से संबद्ध लक्षण, संक्रमण का प्रसार, रोग की गंभीरता, स्व–सीमित बीमारी या नहीं, सावधानियां, और जटिलताएं (यदि कोई हो)। ये प्रोफाइल हमेशा एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे जीवनशैली में बदलाव, पर्यावरणीय कारक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और नए रोगजनकों (बैक्टीरिया और वायरस) के उद्भव के कारण (5)। इन परिवर्तनों को समझना रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर सकता है।

रोगियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईः–

1. स्वस्थ जीवनशैली की आदतें बनाए रखें:–

कई रोग जीवनशैली के कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे आहार, व्यायाम और तंबाकू या शराब का सेवन। चूंकि जीवनशैली के कारण रोग की रूपरेखा बदलती है, इसलिए लोगों को इन रोगों के विकास के जोखिम को कम करने के लिए अपनी जीवनशैली के बारे में जागरूक रहना चाहिए।

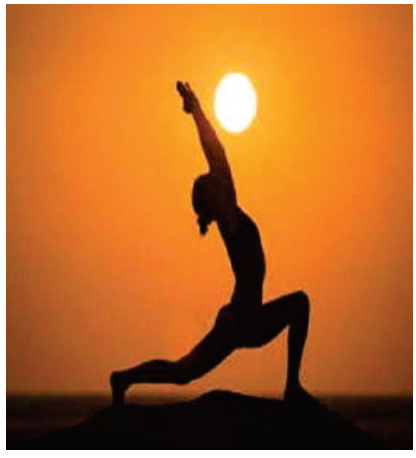

(1) फलों, सब्जियों (उच्च फाइबर आहार), साबुत अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार लें।

(2) स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि करें।

(3) धूम्रपान से बचें और शराब का सेवन सीमित करें, अच्छी स्वच्छता बनाए रखें, जैसे नियमित रूप से हाथ धोना और भोजन की सुरक्षित संभाल आदि।

(4) एफएसएसएआई के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से स्वस्थ भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसमें 'ईट राइट इंडिया' अभियान, 'सुरक्षित और पौष्टिक भोजन' परियोजना और 'आज से थोड़ा कम' जागरूकता गतिविधियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अगस्त 2019 में आरंभ किए गए फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य फिटनेस को प्रत्येक भारतीय नागरिक के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना है।

रोग की रोकथाम और प्रबंधन में जीवनशैली में बदलाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए स्वस्थ जीवनशैली का होना आवश्यक है।

2. टीकाकरण के प्रति जागरूकता:–

टीकाकरण कुछ बीमारियों की रोकथाम का एक सबसे प्रभावी उपकरण है। समुदाय को विभिन्न आयु वर्ग के टीकाकरण के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (जैसे पीएचसी/सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मचारी) सामूहिक प्रतिरक्षा बनाए रखने और कमजोर आबादी (जैसे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों) की रक्षा के लिए अपने समुदायों के भीतर टीकाकरण में उनकी मदद कर सकते हैं।

कोविड–19 महामारी ने संक्रामक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में टीकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। रोगियों को टीकाकरण कराने और अपने समुदायों में टीकाकरण को बढ़ावा देने में रुचि लेनी चाहिए। जैसे–जैसे बीमारी की रूपरेखा बदलती है, रोगियों के लाभ के लिए नए टीके बाजार में उपलब्ध हो सकते हैं।

फार्मा विशेषज्ञों का लेख

3. रोगाणुरोधी दवाओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में जागरूकताः–

- रोगाणुरोधी दवाओं का प्रतिरोध मौजूदा समय की एक सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है, जिससे कई संक्रामक रोगों के इलाज की क्षमता खतरे में पड़ गई है और पिछले कुछ दशकों में स्वास्थ्य देखभाल में हुई अधिकांश प्रगति नष्ट हो गई है।
- रोगाणुरोधी दवाओं के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दवाओं का अंधाधुंध उपयोग रोगाणुरोधी प्रतिरोध पैदा करता है।
- रोगाणुरोधी दवाओं के समझदारीपूर्ण उपयोग पर अंतिम उपयोक्ताओं के लिए शैक्षिक और जागरूकता पहल तत्काल आवश्यक है।

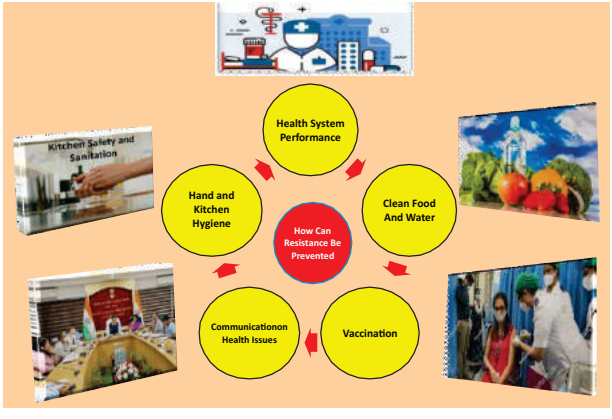

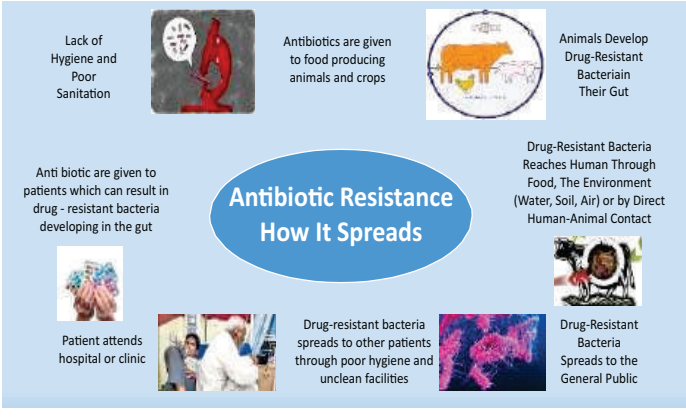

4. मानसिक स्वास्थ्य जांच सहित स्वास्थ्य जांच तक पहुंच प्राप्त करनाः–

- कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए स्क्रीनिंग आवश्यक है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) 2010 में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और रेफरल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू किया गया।
- मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भी विकसित हो रहे रोग प्रोफ़ाइल परिदृश्य का हिस्सा हैं। आधुनिक जीवन के तनाव, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के संदर्भ में, ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। मानसिक स्वास्थ्य समग्र कल्याण का एक अभिन्न अंग है और सक्रिय रूप से इसका समाधान करने से स्वस्थ और अधिक संतुष्ट जीवन हासिल किया जा सकता है।
- रोगियों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर जैसे चिंता, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लक्षणों का अनुभव होने पर मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों और सहायता सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने जैसी मदद लेनी चाहिए।
- उम्र, लिंग, पारिवारिक इतिहास और जोखिम कारकों के आधार पर नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग का हिस्सा बनें। अनुशंसित जांच का पालन करें और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स द्वारा प्रदान की गई किसी भी अनुवर्ती सिफारिशों का पालन करें।
- शीघ्र पता लगाने से कई बीमारियों के पूर्वानुमान में काफी सुधार हो सकता है, जिससे नियमित स्वास्थ्य जांच सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाती है।

5. सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों का हिस्सा बननाः–

- रोग अक्सर समुदायों को प्रभावित करते हैं, और समुदाय की भागीदारी रोग की रोकथाम और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रोगी कई कदम उठा सकते हैं।
- स्थानीय हेल्थकेयर पहलों, जैसे स्वास्थ्य मेलों, रक्त अभियानों और शैक्षिक कार्यशालाओं को सहयोग करें।
- पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को सूचित रहने और निवारक उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सामुदायिक सहभागिता समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जनसंख्या स्तर पर रोग के जोखिमों को कम करने में एक शक्तिशाली माध्यम है।

6. सहायक तकनीकों का उचित इस्तेमालः–

- रोगी डिजिटल हेल्थ ऐप्स और प्रयोज्य उपकरणों का पता लगा सकते हैं जो स्वास्थ्य मेट्रिक्स को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ दूरस्थ परामर्श के लिए टेलीमेडिसिन विकल्पों का लाभ उठाएं।

निष्कर्षः स्वास्थ्य संवर्धन व्यावहारिक जोखिम कारणों जैसे तंबाकू के उपयोग, मोटापा, आहार और शारीरिक निष्क्रियता जैसे व्यवहार संबंधी जोखिम कारकों के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, चोट की रोकथाम, नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण, शराब नियंत्रण, एचआईवी से संबंधित स्वास्थ्य व्यवहार और यौन स्वास्थ्य के क्षेत्रों का समाधान करता है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार खाने की सलाह दी जाती है। नियमित शारीरिक गतिविधियां करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। धूम्रपान से बचें और शराब का सेवन सीमित करें, अच्छी स्वच्छता बनाए रखें, जैसे नियमित रूप से हाथ धोना और भोजन की सुरक्षित संभाल आदि।

सन्दर्भः

1. देबासिस बारिक और पेरियानायगम अरोकियासामी। भारत में गैर–संचारी रोगों के कारण बढ़ता स्वास्थ्य व्ययः एक दृष्टिकोण। फ्रंट पब्लिक हेल्थ. 2016; 4:268
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय
3. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र
4. हेराल्ड श्मिट. अध्याय 5, दीर्घकालिक रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन। सार्वजनिक स्वास्थ्य नैतिकताः दुनिया भर में फैले मामले
5. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/ detail /NCDs
6. वेई हे, जुएयिन झाओ, ज़ियिंग यांग, यान मिन, यी–हसुआन वू, और अन्य। कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान पुराने रोगों वाले रोगियों में जीवनशैली में बदलाव और अवसादग्रस्तता लक्षण। ओपन एक्सेस प्रकाशितः 06 जुलाई 2022

विनियामक समाचार

औषधियों के मूल्य से संबंधित समाचार

➲ डीपीसीओ, 2013 के तहत 30 अक्टूबर 2023 तक 691 अनुसूचित फॉर्मूलेशन (आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2022) के लिए अधिकतम कीमतें और 2474 गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशन के लिए खुदरा कीमतें तय की गई हैं।

➲ 13 अक्टूबर तक, 249 प्राधिकरण बैठकें आयोजित की गई जिनमें से 117 डीपीसीओ 2013 के तहत हैं। हाल की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

बैठक सं.	आयोजन तिथि	खुदरा मूल्य अनुमोदित एवं अधिसूचित
डीपीसीओ 2013 के तहत 248वीं (समग्र) एवं 116वीं बैठक	06.09.2023	(i) एस.ओ. 4076(ई) दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से 51 फॉर्मूलेशन के लिए खुदरा कीमतें अधिसूचित की गई।
डीपीसीओ 2013 के तहत 249वीं (समग्र) एवं 117वीं बैठक	13.10.2023	(i) एस.ओ. 4660(ई) दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से 29 फॉर्मूलेशन के लिए खुदरा कीमतें अधिसूचित की गई।

➲ 116वीं और 117वीं प्राधिकरण बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर विभिन्न फॉर्मूलेशन के लिए अधिसूचित खुदरा कीमतों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	चिकित्सकीय समूह	कुल संख्या	फॉर्मूलेशन का प्रकार	खुदरा मूल्य निर्धारित सीमा (रु.) (जीएसटी छोड़कर) प्रति टेबलेट/प्रति एमएल
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	एंटी–डायबिटिक	46	टेबलेट	8.97 – 19.00
2	एंटी–बायोटिक्स	2	टेबलेट	55.23 – 151.98
3	एंटीहाइपरटेंसिव	3	टेबलेट/सस्पेंशन	13.05 – 105.25
4	कार्डियोवेस्कुलर	2	टेबलेट/कैप्सूल	13.22 – 14.23
5	एंटी–पायरेटिक एवं एनलजेसिक्स	2	टेबलेट/इंफ्यूजन	2.63 – 3.91
6	विटामिन एवं खनिज	3	टेबलेट	8.58 – 10.37
7	अन्य	22	कैप्सूल/टेबलेट/इंजेक्शन/ड्राप/जैल	0.52 – 66.50

➲ डीपीसीओ 2013 के पैरा 32 (i) और (ii) के तहत मेसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को उनके उत्पाद कोलेकैल्सीफेरोल एक्वियस इंजेक्शन 6,00,000 आईयू/2एमएल (विटामेन डी3 इंजेक्शन) के लिए छूट दी गई।

➲ डीपीसीओ 2013 के पैरा 32 (i) के तहत मेसर्स पैनासिया बायोटेक लिमिटेड को उनके उत्पाद ईज़ीफोरपोल (डीटीडब्ल्यूपी– एचआईबी–आईपीवी) वैक्सीन के लिए छूट दी गई।

चिकित्सा उपकरणों से संबंधित समाचार

➲ एनपीपीए ने दिनांक 15.09.2023 की अधिसूचना एस.ओ.4078(ई) के माध्यम से घुटना रिप्लेसमेंट सिस्टम के लिए आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमतों के निर्धारण/संशोधन के संबंध में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत अधिसूचनाएं जारी की हैं। यह निर्णय लिया गया है कि आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की निगरानी डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 20(1) के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है। यह आदेश 16 सितंबर 2023 से एक वर्ष की अवधि (अर्थात् 15 सितंबर, 2024 तक) के लिए लागू होगा।

➲ एनपीपीए ने दिनांक 10 अक्टूबर 2023 ओएम के माध्यम से दिनांक 15 सितंबर 2023 अधिसूचना सं. एस.ओ.4078(ई) के संबंध में ऑर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की कीमत में वृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 16 सितंबर 2023 से, घुटना प्रत्यारोपण के निर्माता/आयातक पिछले 12 महीनों के दौरान घुटना प्रत्यारोपण के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में एमआरपी के 10 प्रतिशत तक की वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं।

आईपीडीएमएस 2.0: इंटीग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीडीएमएस) एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सिव क्लाउड–आधारित एप्लिकेशन है। यह देश में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों की निगरानी और विनियमन के लिए ऑनलाइन सूचना संग्रह, प्रसंस्करण और संचार पोर्टल की एक प्रणाली है। उन्नत आईपीडीएमएस 2.0 को 29 अगस्त, 2022 को प्रारंभ किया गया था और नीचे दिए गए चार्ट पिछले छह माह के आंकड़े दर्शाते हैं:

चार्ट 1: माह की समाप्ति पर पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या

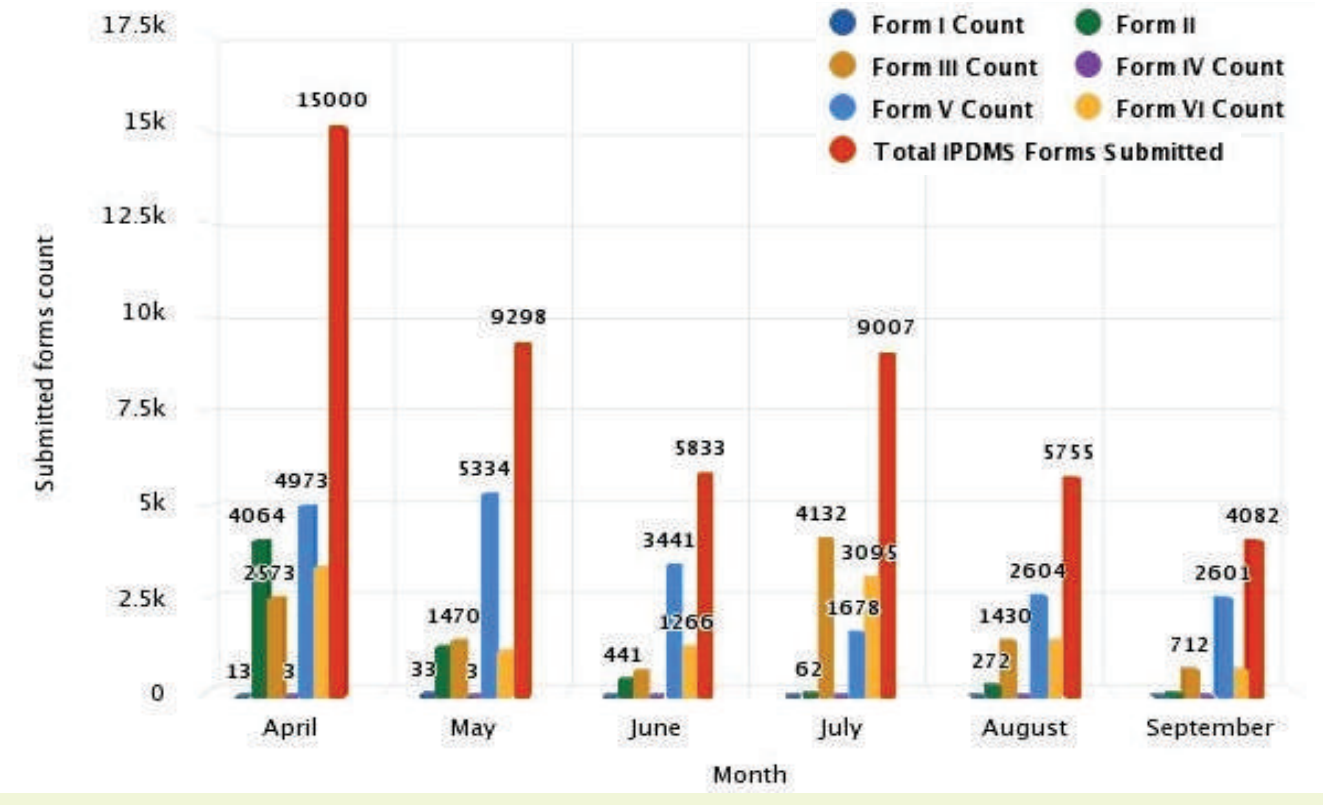

चार्ट 2: आईपीडीएमएस पर दाखिल सांविधिक फार्म की संख्या

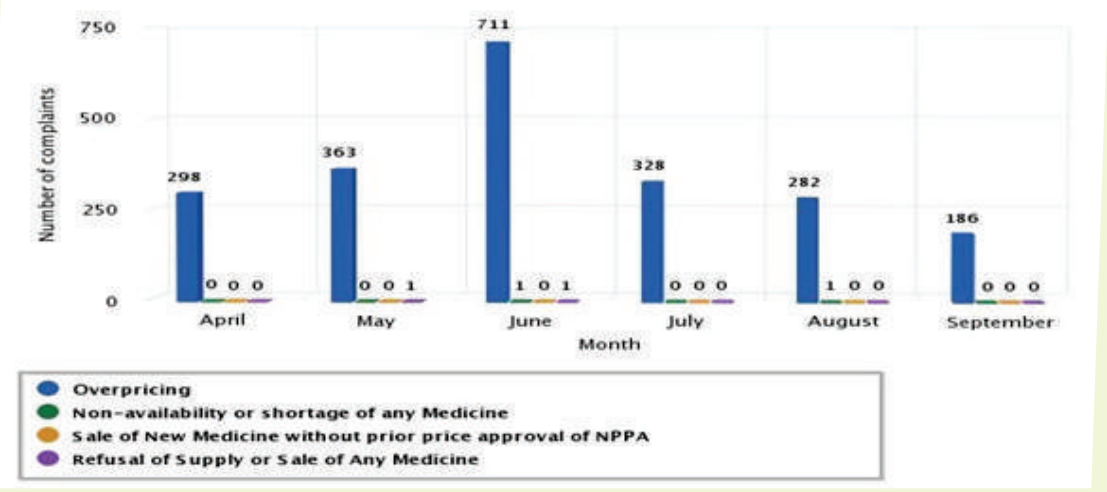

चार्ट 3 : आईपीडीएमएस/पीजेएस एप पर प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या

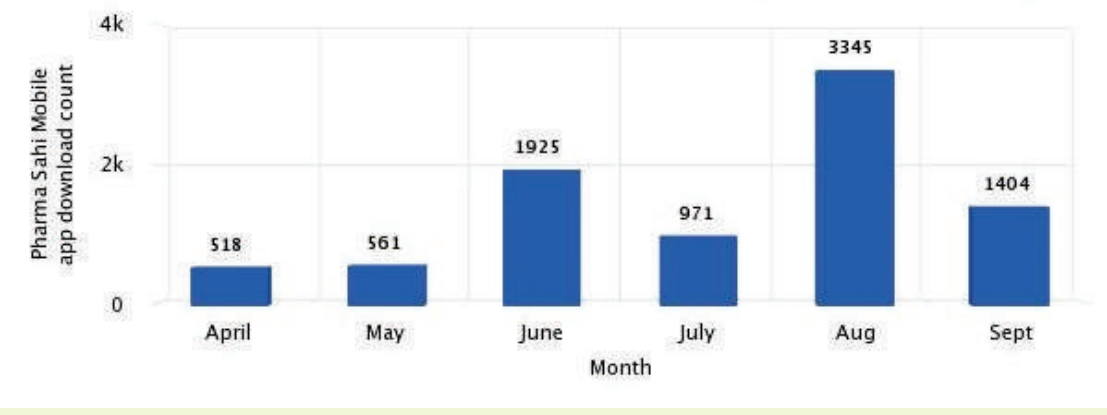

चार्ट 4: फार्मा सही दाम मोबाइल एप डाउनलोड करने की संख्या

चार्ट 5: आईपीडीएमएस 2.0 में यूजर लॉगिन की संख्या

चार्ट 6: आईपीडीएमएस हेल्पडेस्क पर उठाए गए/समाधान किए गए टिकटों की संख्या

एफडीए ने शिशुओं में आरएसवी को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए पहले टीके को मंजूरी दी (21 अगस्त, 2023)

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एब्रीस्वो (रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन) को मंजूरी दे दी है। यह गर्भवती महिलाओं में निचले श्वसन तंत्र रोग (एलआरटीडी) और जन्म से 6 माह तक के शिशुओं में श्वसन सिंकाइटियल वायरस (आरएसवी) के कारण होने वाले गंभीर एलआरटीडी को रोकने के लिए उपयोग हेतु स्वीकृत किया गया पहला टीका है। आरएसवी एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों में श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। यह दुनिया भर में शिशुओं में निचले श्वसन तंत्र की बीमारी का सबसे आम कारण है।

अधिक पढ़े

एफडीए ने मल्टीपल स्केलेरोसिस के इलाज के लिए पहले बायोसिमिलर को मंजूरी दी (24 अगस्त, 2023)

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने टायरुको (नटालिजुमैब– एसजेटीएन) को मंजूरी दी है जो मल्टीपल स्केलेरोसिस (एमएस) के पुनरावर्ती रूप वाले व्यक्तियों के इलाज के लिए टायसाबरी (नटालिजुमैब) का पहला बायोसिमिलर इंजेक्शन है। टायसाबरी की तरह टायरुको को भी इंफ्लामेशन के प्रमाण के साथ मध्यम से गंभीर रूप से सक्रिय क्रोहन रोग (सीडी) वाले वयस्क रोगियों में नैदानिक प्रतिक्रिया और रिमिशन को प्रेरित करने और बनाए रखने का संकेतक है और टीएनएफ–ए (ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, आपके शरीर में एक पदार्थ जो सूजन का कारण बनता है) के अवरोधक पारंपरिक सीडी थेरेपी के लिए अपर्याप्त प्रतिक्रिया है या जो सहन करने में असमर्थ हैं।

अधिक पढ़ें

एफडीए ने दुर्लभ रोग उपचार के विकास में और तेजी लाने में सहायता देने के लिए पायलट कार्यक्रम प्रारंभ किया (29 सितंबर, 2023)

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन दुर्लभ बीमारियों के लिए नवीन दवा और जैविक उत्पादों के विकास में तेजी लाने में मदद के लिए कदम उठा रहा है। एजेंसी सीमित संख्या में प्रायोजकों के लिए एक पायलट कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर की घोषणा कर रही है जो नैदानिक विकास के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु एफडीए कर्मचारियों के साथ लगातार संचार की अनुमति देता है। सपोर्ट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एडवांसिंग रेयर डिजीज थेरेप्यूटिक्स (स्टार्ट) पायलट प्रोग्राम के चयनित प्रतिभागी उत्पाद–विशिष्ट विकास मुद्दों का समाधान करने के लिए एफडीए कर्मचारियों के साथ लगातार सलाह और नियमित संचार प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिसमें डिजाइन, नियंत्रण समूह का चयन और रोगी आबादी की पसंद को बेहतर बनाना और क्लिनिकल अध्ययन भी शामिल है तथा यह सीमित नहीं है।

अधिक पढ़ें

एफडीए ने वर्तमान में फैले वेरिएंट के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए तैयार अपडेटेड नोवावैक्स कोविड–19 वैक्सीन को अधिकृत किया (03 अक्टूबर, 2023)

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 2023–2024 फॉर्मूले को शामिल करने के लिए 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के

अंतरराष्ट्रीय समाचार

व्यक्तियों में उपयोग के लिए नोवावैक्स कोविड–19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग अधिकृत (ईयूए) में संशोधन किया है। 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को पहले एक कोविड–19 वैक्सीन का टीका लगाया गया था (और जिन्हें पहले से ही हाल ही में तैयार किए गए कोविड–19 वैक्सीन का टीका नहीं लगाया गया है) उन्हें एक खुराक के लिए पात्र माना हैं और बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों को दो खुराक के लिए पात्र माना गया है। अपडेटेड वैक्सीन अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु सहित कोविड–19 के गंभीर परिणामों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान में फैले वेरिएंट से रक्षा करती है। एफडीए के विशेषज्ञ सलाहकारों के साक्ष्य और इनपुट की समग्रता के अनुरूप, नोवावैक्स कोविड–19 वैक्सीन, एडजुवेंटेड, एक मोनोवैलेंट वैक्सीन, को सार्स–2 ओमिक्रॉन वेरिएंट लाइनजे एक्सबीबी.1.5 (2023–2024 फॉर्मूला) से स्पाइक प्रोटीन को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया है।

अधिक पढ़ें

एफडीए ने उत्तेजक उपयोग विकार के लिए नवीन उपचार के विकास को आगे बढ़ाने का कदम उठाया (अक्टूबर 04, 2023)

अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उत्तेजक उपयोग विकार का उपचार विकसित करने में प्रायोजकों की सहायता के लिए एक नया मसौदा मार्गदर्शन प्रकाशित किया। मार्गदर्शन, उत्तेजक उपयोग विकारः उपचार के लिए दवाओं का विकास, जब अंतिम रूप ले लिया जाएगा, तो यह मध्यम से गंभीर कोकीन उपयोग विकार, मेथमफेटामाइन उपयोग विकार और प्रिस्क्रिप्शन उत्तेजक उपयोग विकार के उपचार में सहायता करने के लिए दवाओं और बायोलॉजिक्स विकसित करने के लिए समग्र विकास कार्यक्रम और नैदानिक परीक्षण डिजाइन पर एफडीए की वर्तमान सोच प्रदान करने में पहला कदम होगा। मसौदा मार्गदर्शन में उत्तेजक उपयोग विकार उपचार के मूल्यांकन से संबंधित नैदानिक परीक्षण डिजाइन के संबंध में सिफारिश शामिल हैं।

अधिक पढ़ें

ईएमए मल्टीपल मायलोमा दवा ब्लेंरेप को अधिकृत करके गैर–नवीकरण की अनुशंसा करता है (15.09. 2023)

ईएमए की मानव औषधि समिति (सीएचएमपी) ने मल्टीपल मायलोमा (अस्थि मज्जा का एक कैंसर) के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा ब्लेनरेप (बेलेंटामैबमाफोडोटिन) के लिए सशर्त विपणन प्राधिकरण को नवीनीकृत नहीं करने की सिफारिश की है। ब्लेनरेप उन वयस्कों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम चार पिछले उपचार किए हैं और जिनकी बीमारी कुछ अन्य प्रकार के कैंसर उपचार का जवाब नहीं देती है और यह कैंसर का उपचार करने में अधिक कारगर है

अधिक पढ़ें

ईएमए ने यूरोपीय संघ के मरीजों और स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों को नकली ओज़ेम्पिक पेन की रिपोर्ट के बारे में सचेत किया (18.10.2023)

यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी को संबंधित राष्ट्रीय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में थोक विक्रेताओं के पास मधुमेह की दवा ओज़ेम्पिक (सेमाग्लूटाइड, 1 मिलीग्राम, इंजेक्शन के लिए समाधान) के रूप में पहले से भरे हुए पेन की पहचान की गई है। जर्मन में लेबल वाले पेन ऑस्ट्रिया और जर्मनी के थोक विक्रेताओं से आए थे। पेन में बैच नंबर, 2डी बारकोड और वास्तविक ओज़ेम्पिक पैक से अद्वितीय सीरियल नंबर होते हैं। ईयू में प्रत्येक दवा पैक में एक अद्वितीय 2डी बारकोड और सीरियल नंबर होता है ताकि इसे ईयू–व्यापी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ट्रैक किया जा सके।

अधिक पढ़ें

स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) अभियान

एनपीपीए ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू के साथ समन्वयन में स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक 'स्वच्छता ही सेवा' (एसएचएस) अर्थात् प्रारंभिक चरण अभियान चलाया है। एसएचएस द्वारा परिकल्पित किए गए अनुसार पीएमआरयू द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यालय परिसरों के साथ–साथ सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता से पहले/स्वच्छता के बाद की तस्वीरों, भाग लेने वाले लोगों की संख्या और स्थान (भवन/परिसर का नाम) के साथ स्वच्छता गतिविधियों का विवरण एसएचएस पोर्टल पर अपलोड किया गया। पीएमआरयू ने कार्यालयों, सरकारी कॉलेजों, मंदिरों, अस्पतालों के पास के स्थानों, नजदीकी उद्यानों, आवास परिसरों आदि में स्वच्छता गतिविधियों को चलाने के लिए 373 घंटे का श्रमदान किया ।

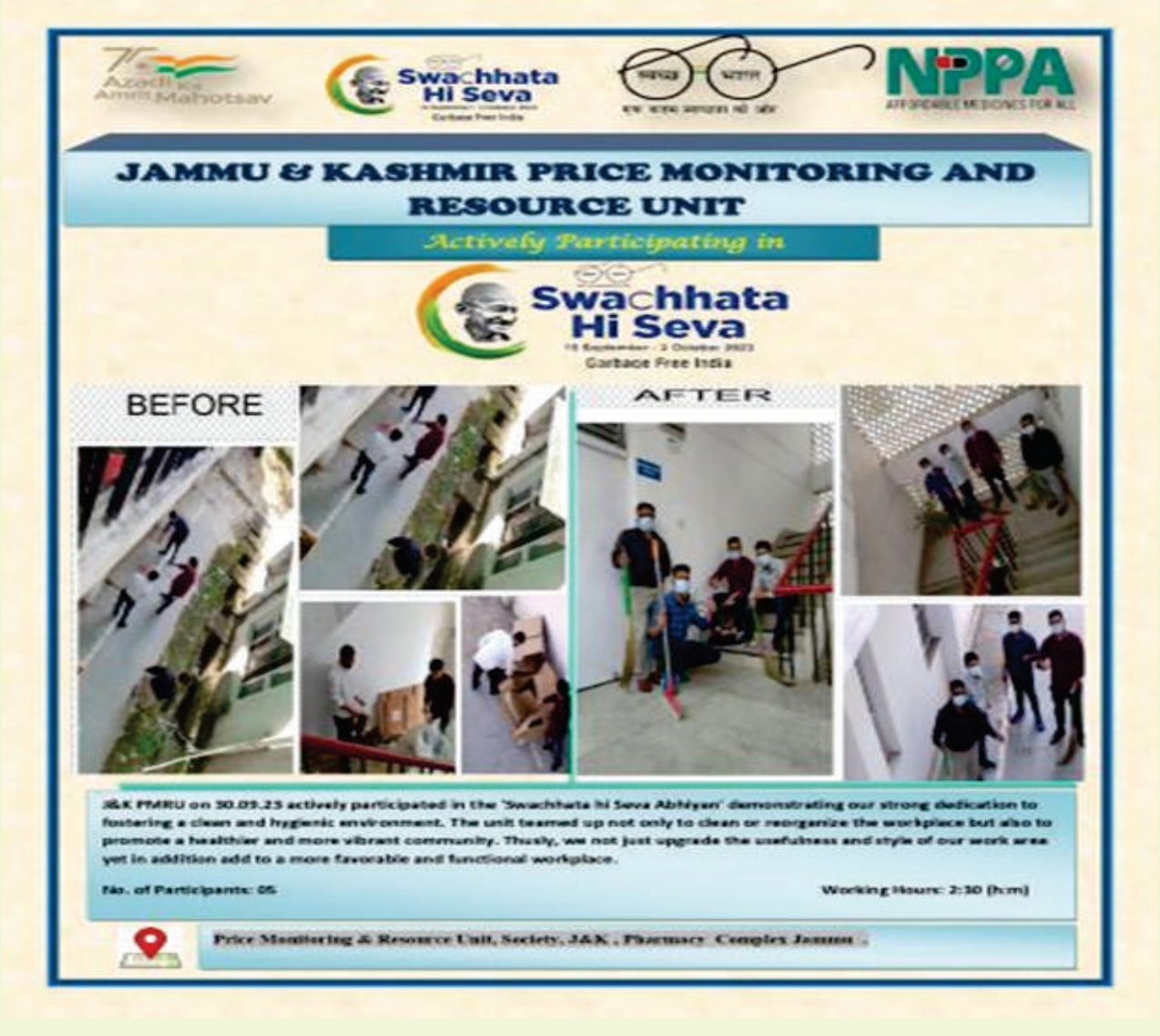

स्वच्छता विशेष अभियान 3.0

एनपीपीए ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमआरयू के साथ समन्वयन करके 02 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक 'स्वच्छता विशेष अभियान 3.0' चलाया है। अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में स्थान प्रबंधन, स्क्रैप/अपशिष्ट सामग्री का निपटान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, कीटाणुशोधन, सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण शामिल था।

2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक अभियान अवधि के दौरान, अड़सठ (68) विभिन्न गतिविधियाँ अर्थात्, जन भागीदारी (803 व्यक्तियों) पर जोर देने के साथ टीम प्रयासों के महत्व को दर्शाने के लिए स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और अन्य नवीन गतिविधियाँ, कॉलेजों/स्कूलों, पार्कों, पानी की टंकियों, सड़कों, औषधि नियंत्रण कार्यालयों, परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और श्रमदान (1341 समर्पित घंटे) कार्यकलाप किए गए।

इस अभियान की परिकल्पना एक उल्लेखनीय पहल के रूप में की गई है जिसके तहत पीएमआरयू ने स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण और कार्यस्थल पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संगठित टीम प्रयास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई।

J&K PMRU staff on 14.10.23 actively participated in the "Swacchta Hi Seva 3.0 Campaign" at a public park, Dalgate Srinagar from 10:30 am to 12:00 pm demonstrating our strong dedication to fostering a clean and hygienic environment.

No. of Participants: 06

J&K PMRU staff on 14.10.23 actively participated in the "Swacchta Hi Seva 3.0 Campaign" at a public park, Dalgate Srinagar from 10:30 am to 12:00 pm demonstrating our strong dedication to fostering a clean and hygienic environment.

राज्यों/यूटी में मूल्य निगरानी एवं संसाधन यूनिटों के लिए वेबिनार

वेबिनार सीरीज के क्रम में, एनपीपीए द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन यूनिटों के लिए दो (2) इंटरैक्टिव वेबिनार आयोजित किए गए, जैसा कि नीचे बताया गया है:

दिनांक	वेबिनार
26.09.2023	पीएमआरयू द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों पर वेबिनार
26.10.2023	पीएफएमएस–होल्डिंग खाता के माध्यम से टीडीएस–जीएसटी एवं अन्य कटौतियों को जमा करने पर वेबिनार

इन वेबिनारों का मुख्य उद्देश्य साप्ताहिक सर्वेक्षण आयोजित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने, दवाओं के परीक्षण नमूनों के संग्रह/खरीद, अनुसूचित/गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मूल्य की निगरानी और संभावित रिपोर्टिंग, आईपीडीएमएस के माध्यम से इनके उल्लंघन के मामले, पीएफएमएस के माध्यम से व्यय करना और रिकॉर्ड/सहायक दस्तावेजों का रखरखाव, बैठकों का आयोजन (कार्यकारी समिति की बैठक और शासी निकाय की बैठक) और स्थिर और गतिशील रिपोर्ट सहित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, डेटा/सूचना/रिपोर्ट की रिपोर्टिंग और प्रस्तुतिकरण, आईपीडीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीपीए, टीडीएस–जीएसटी/आईटी की कटौती की आवश्यकता, टीडीएस–जीएसटी/आईटी जमा करना और पीएफएमएस के माध्यम से अन्य कटौती –होल्डिंग खाता के संबंध में पीएमआरयू के साथ मार्गदर्शन और ज्ञान साझा करना था।

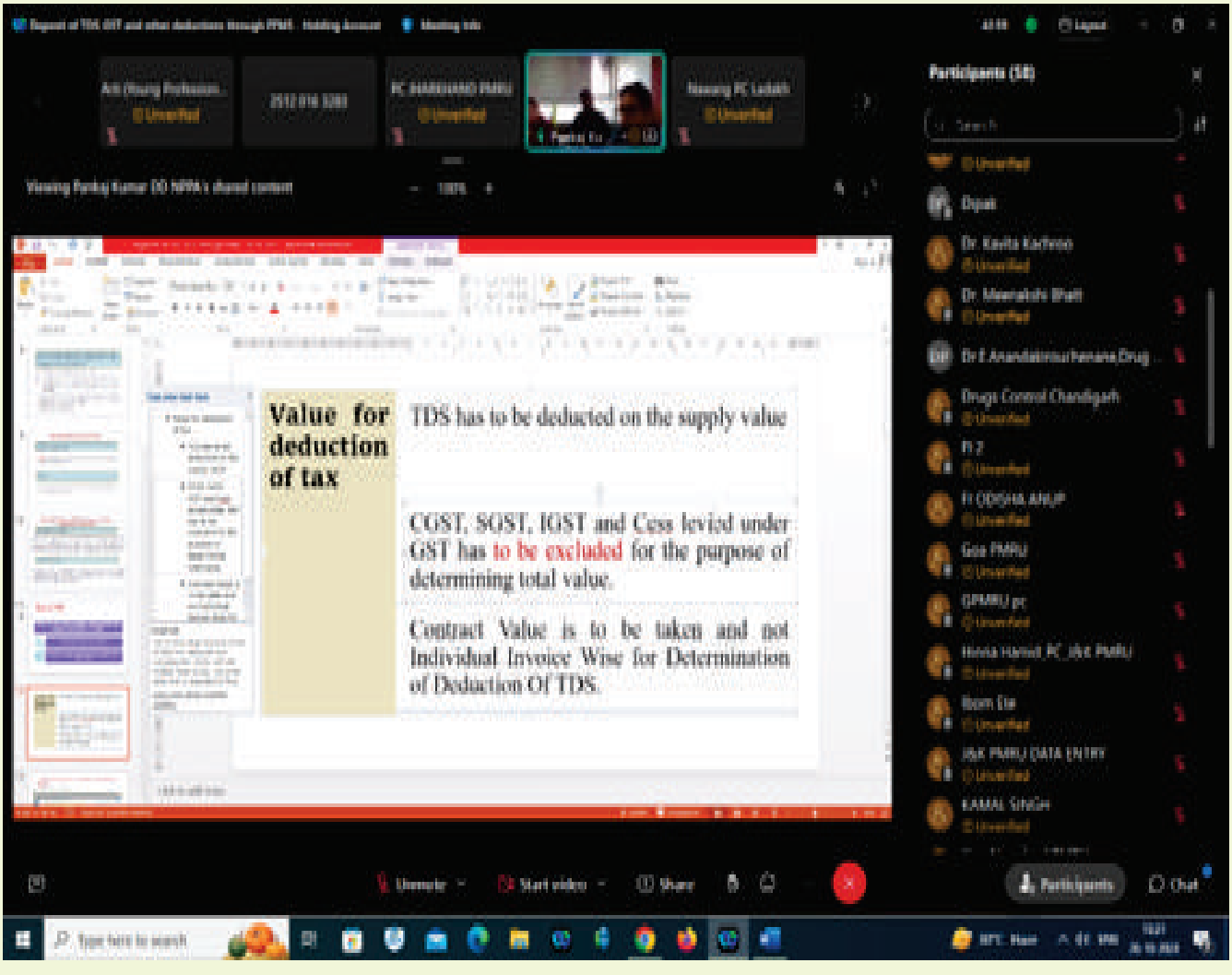

पीएमआरयू द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम/सेमिनार

भारत @75 'आजादी का अमृत महोत्सव' के क्रम में पीएमआरयू द्वारा अपने–अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् पुडुचेरी, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ग्यारह (11) राज्य स्तरीय कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए गए । इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य लोगों को एनएलईएम 2022 के तहत अधिकतम कीमतों के निर्धारण और स्वास्थ्य देखभाल में इसके महत्व, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत दवा मूल्य विनियमों, दवाओं की वहनीयता और सभी के लिए इनकी उपलब्धता, पीएमआरयू, फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप और आईपीडीएमएस 2.0 में एनपीपीए की भूमिका के बारे में जागरूक करना था।

दवाओं के मूल्य को लेकर मरीजों को किया जागरूक

हिंदी पखवाड़ा, 2023 आयोजन

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण कार्यालय में हिंदी प्रयोग/प्रोत्साहन पखवाड़े का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें कार्यालय के नियमित सदस्यों के साथ-साथ संविदात्मक एवं आउटसोर्स स्टाफ ने भी बढ़-चढ़ कर भागीदारी की। इस आयोजन के समापन समारोह में अध्यक्ष, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के हाथों सभी विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसी कार्यक्रम में हिंदी प्रोत्साहन योजना एवं स्वच्छता पखवाड़ा प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।

(प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्नः "औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013)" क्या है?

उत्तरः औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी एक आदेश है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ दवाओं की आपूर्ति बनाए रखना या उचित मूल्य पर उनका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आदेश में अन्य बातों के साथ–साथ अनुसूचित (नियंत्रित) दवाओं की सूची, दवाओं की कीमतें तय करने की प्रक्रिया, सभी दवाओं की एमआरपी में वृद्धि पर नियंत्रण, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के कार्यान्वयन की विधि, प्रावधानों का उल्लंघन आदि करके अधिक वसूली गई राशि को ब्याज और जुर्माने के साथ वसूलने का प्रावधान है।

प्रश्नः क्या देश में विपणन की जाने वाली सभी दवाएं मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं?

उत्तरः एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 4 के अनुसार डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची–1 में सूचीबद्ध फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत तय करता है। एनएलईएम 2015, जिसे डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची–1 के रूप में अधिसूचित किया गया था, में 966 अनुसूचित औषधि फॉर्मूलेशन शामिल हैं (अनुसूची 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार फॉर्मूलेशन सहित) – डीपीसीओ 2013 का अनुसूची–1) 31 चिकित्सीय समूहों में फैला हुआ है। एनपीपीए डीपीसीओ 2013 की अनुसूची–1 के स्पष्टीकरण–1 के तहत सूचीबद्ध फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें भी तय करता है। एनपीपीए विनिर्माण/विपणन कंपनियों से प्राप्त फॉर्म–1 आवेदन के आधार पर दवा की खुदरा कीमत तय करता है। अधिसूचित खुदरा कीमतें केवल आवेदक विनिर्माण/विपणन कंपनियों पर लागू होती हैं। इसके अलावा, कंपनियां पिछले बारह माह में गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशन (डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची–1 में आने वालों के अलावा) को एमआरपी से 10 प्रतिशत से अधिक कीमत पर नहीं बेच सकती हैं।

प्रश्नः यदि कोई निर्माता डीपीसीओ, 2013 के तहत निर्धारित मूल्य से अधिक एमआरपी पर दवा बेचता है तो क्या होगा?

उत्तरः किसी दवा को अधिसूचित अधिकतम मूल्य/खुदरा मूल्य और लागू स्थानीय करों से अधिक एमआरपी पर बेचना डीपीसीओ, 2013 का उल्लंघन है और निर्माता अन्य बातों के अलावा, ब्याज और जुर्माने के साथ अधिक वसूली गई राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। जमा न करने की स्थिति में, राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। इसी तरह की कार्रवाई तब की जाती है जब कंपनियां गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशन को एमआरपी के साथ बेचते हुए पाई जाती हैं, जो पिछले बारह महीनों के एमआरपी से 10 प्रतिशत अधिक है।

प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण

शिकायत निवारण

फर्मा जन समाधानः उपभोक्ताओं, वितरकों,डीलरों,खुदरा विक्रेताओं के शिकायत निवारण–देखभाल के लिए एक वेब सक्षम प्रणाली।

सूचना का प्रसार

फर्मा सही दामः कोई भी आसानी से ब्रांड नाम, संरचना, अधिकतम मूल्य और जनता के लिए उपलब्ध–फॉर्मूलेशन की एमआरपी खोज सकता है।

एन.पी.पी.ए. और पीएमआरयू द्वारा आयोजित सेमिनार और कार्यशालाएं

राज्य सरकारों के साथ सहयोग

पी.एम.आर.यू.: अधिसूचित कीमतों की निगरानी और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में एन.पी.पी.ए. की मदद करना।

दवाओं के मूल्य निर्धारण आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए।

NPPA
AFFORDABLE MEDICINES FOR ALL
सभी के लिए वहनीय दवाईयाँ

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

3री/5वीं मंजिल, वाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली, भारत
www.nppaindia.nic.in | हेल्पलाइन नंबरः 1800 111 255 (कार्य अवधि में पूर्वाह्न 10 बजे से सायं 6 बजे तक)

degree360solutions.com